न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

उनवान

सरकार जरिये तहसीलदार करौली तहसील करौली जिला करौली – प्रार्थी

बनाम

सरकार जरिये सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, करौली – अप्रार्थी

रेफरेन्स अंतर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक–11.11.2019

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि भूमिधारी तहसीलदार करौली ने अप्रार्थी के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र रेफरेन्स प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि आराजी खसरा नंबर 4743, 4745 रकबा क्रमशः 0–08, 1–04 बीघा कस्बा करौली–9 तहसील करौली का प्रार्थी लैण्ड होल्डर है। यह कि आराजी खसरा नंबर 4743, 4745 रकबा क्रमशः 0–08, 1–04 बीघा कस्बा करौली–9 सम्वत् 2015 एवं इसके पश्चात् क्रमशः गै.मु. नाला, गै.मु. नाला दर्ज रिकॉर्ड थे परन्तु जमाबन्दी सम्वत् 2064–2067 तक के खाता सं 797 किस्म गै.मु. नाला को नामांतरकरण संख्या 1907 के द्वारा समाज कल्याण विभाग, करौली के नाम दर्ज कर दिया गया। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 तक में समाज कल्याण विभाग, करौली (होस्टल हेतु) के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार से यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536 / 2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के द्वारा नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.08.1947 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को वापस सरकारी भूमि में दर्ज करने एवं इसके बाद हुए परिवर्तन को अवैध घोषित किए जाने के निर्देश हैं। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आराजी खसरा नंबर 4743, 4745 रकबा क्रमशः 0–08, 1–04 बीघा बाके कस्बा करौली–9 को वापस राजकीय भूमि गै.मु. नाला, गै.मु. नाला दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

उक्त प्रार्थना पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी, जमाबन्दी सम्वत् 2015, 2064–2067, 2072–75 नामांतरकरण संख्या 1907 दिनांक 28.07.2000 की प्रमाणित प्रति संलग्न की है।

तहसीलदार करौली के उक्त प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थी की गई।

अप्रार्थी ने जवाब पेश कर निवेदन किया है कि श्रीमान् अति. जिला कलक्टर महोदय, करौली के आदेश क्रमांक–प.12(3)(6)राज. / हॉस्टल / 2000 / 530 दिनांक 23.05.2000 से ग्राम करौली–2 के खसरा नंबर 4743 में से 08 विस्वा एवं खसरा नंबर 4745 में से 01 बीघा 04 विस्वा कुल 01 बीघा 12 विस्वा आवंटित की गई थी। उक्त जमीन विभाग को राजकीय अनु. जनजाति कन्या छात्रावास हेतु आवंटित की गई थी। उक्त जमीन कॉलेज एवं स्कूलों के नजदीक है एवं कन्या छात्रावास हेतु सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त है। उक्त विशेषताओं को देखते हुए जमीन का आवंटन यथावत् रखने का श्रम करें।

वक्त बहस अप्रार्थी उपस्थित नहीं आये।

बहस एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करते हुए मनन किया। जमाबन्दी संवत् 2015 के अनुसार सिवायचक बिला लगानी आराजी खसरा नंबर 4743, 4745 रकबा क्रमशः 0–08, 1–04 बीघा क्रमशः गै.मु. नाला, गै.मु. नाला दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबंदी संवत् 2064–2067 तक के खाता संख्या 797 किस्म गै.मु. नाला को समाज कल्याण

विभाग, करौली के नाम दर्ज कर दी गई है। वर्तमान जमाबंदी संवत् 2072–75 तक में समाज कल्याण विभाग, करौली(हॉस्टल हेतु) के अधीन दर्ज रिकॉर्ड है। इससे स्पष्ट है कि यह जमीन पूर्व में गै.मु. नाला, गै.मु. नाला दर्ज थी एवं वर्तमान में भी किस्म गै.मु. नाला ही दर्ज है। उक्त भूमि निजी खातेदारी में आवंटित न की जाकर अनुसूचित जनजाति के कन्या छात्रावास हेतु राजकीय विभाग को ही आवंटित की गई है। आवंटित भूमि के कॉलेज व विद्यालयों के नजदीक होने के कारण छात्राओं की सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त है। समाज कल्याण विभाग, करौली निजी उपक्रम ना होकर राजकीय विभाग ही है जिसके नाम जमीन होने पर इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 02.08.2004 की मंशा के अनुरूप उक्त भूमि को सुरक्षित रखने का आदेश दिया जाना उचित समझते हैं।

अतः भूमिधारी तहसीलदार करौली का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 L.R. Act 1956 अस्वीकार किया जाता है एवं कस्बा करौली–9 की आराजी खसरा नंबर 4743, 4745 रकबा क्रमशः 0–08, 1–04 बीघा के समाज कल्याण विभाग, करौली के नाम दर्ज इन्द्राजों को यथावत् रखा जाता है। उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, करौली को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त भूमि को डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 02.08.2004 की मंशा के अनुरूप सुरक्षित रखें। समाज कल्याण विभाग, करौली उक्त भूमि में से पानी के बहाव को अवरुद्ध न करें। उक्त भूमि में जल के बिना रुकावट के व्यवस्थित बहाव हेतु विकास कार्य करने के लिए समाज कल्याण विभाग, करौली स्ववंत्र रहेगा। निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्षकारान को प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.11.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2019.11.29 14:24:29 IST
Reason: SelfAttested
Location: